लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2531

06 मार्च, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए

आदिवासियों की पारंपरिक बुनाई प्रथाएं

2531. श्रीमती गीताबेन वी०राठवा:
श्री प्रदीप कुमार सिंह:
श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर:
श्री नारणभाई काछडिया:
श्री परबतभाई सवाभाई पटेल:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास आदिवासी क्षेत्रों में उन बुनकरों से संबंधित कोई आंकड़े हो जो पारंपरिक बुनाई कार्य में संलग्न हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में उक्त पारंपरिक बुनाई को बढ़ावा देने के लिए पारंपरिक आदिवासी बुनकरों के कल्याण हेतु सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही या कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई है?

उत्तर
वस्त्र मंत्री
(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) और (ख): चौथी अखिल हथकरघा संगणना के अनुसार, देश में 35,22,512 हथकरघा कामगार (हथकरघा बनुकर तथा संबद्ध कामगार) हैं जिनमें से 6,28,768 अनुसूचित जनजाति हथकरघा कामगार हैं। अनुसूचित जनजाति हथकरघा कामगारों के राज्य-वार आंकड़े अनुबंध-I में दिए गए हैं।

(ग): भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय हथकरघा के विकास एवं संवर्धन और हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए आदिवासी बुनकरों सहित पूरे देश में निम्नलिखित योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है;

1) राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)
2) व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस)
3) हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना (एचडब्ल्युसीडब्ल्युएस)
4) यार्न आपूर्ति योजना (वाईएसएस)

उपर्युक्त योजनाओं के तहत कच्चे माल, करघे व सहायक सामान की खरीद, डिजाइन इनोवेशन, उत्पाद विविधीकरण, अवसंरचना विकास, कौशल उन्नयन, लाइटिंग यूनिट, हथकरघा उत्पादों के विपणन तथा रियायती दरों पर ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

1. राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)

(i) **ब्लॉक स्तरीय क्लस्टर :** यह राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के एक संघटक के रूप में 2015-16 में शुरू किया गया है। कौशल उन्नयन, हथकरघा संवर्धन सहायता, उत्पाद विकास, वर्कशेड के निर्माण, परियोजना प्रबंधन लागत, डिजाइन विकास, सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) की स्थापना इत्यादि जैसी विभिन्न मध्यस्थताओं के लिए प्रति बीएलसी 2.00 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान है। इसके अलावा, जिला स्तर पर एक डाई हाउस की स्थापना के लिए 50.00 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता भी उपलब्ध है। प्रस्तावों की सिफारिश राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

(ii) **हथकरघा विपणन सहायता** यह राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम का एक संघटक है । हथकरघा बुनकरों/एजेंसियों को अपने उत्पाद सीधे उपभोगताओं को बेचने के लिए विपणन मंच प्रदान करने के उद्देश्य से

घरेलू तथा विदेशी बाजारों में विपणन कार्यक्रमों के आयोजन के लिए राज्यों/पात्र हथकरघा एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(iii) **बुनकर मुद्रा योजना :** बुनकर मुद्रा योजना के तहत हथकरघा बुनकरों को 6% की रियायती ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाता है। प्रति बुनकर अधिकतम 10,000 रुपए की मार्जिन राशि सहायता और 3 वर्ष की अवधि के लिए ऋण गारंटी भी प्रदान की जाती है। मार्जिन राशि तथा ब्याज छूट के लिए निधियों के संवितरण में विलंब से बचने के लिए पंजाब नेशनल बैंक के सहयोग से **मुद्रा पोर्टल** विकसित किया गया है।

(iv) **हथकरघा संवर्धन सहायता (एचएसएस):**

हथकरघा संवर्धन सहायता (एचएसएस) 1 दिसंबर, 2016 को शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य बुनकरों को हथकरघा उत्पादों की उन्नत उत्पादकता एवं गुणवत्ता के माध्यम से उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए करघें/सहायक सामान मुहैया कराना है। इस योजना के तहत करघा/सहायक सामान की लागत के 90% का वहन भारत सरकार द्वारा किया जाता है, जबकि शेष 10% का वहन लाभार्थी द्वारा किया जाता है । भारत सरकार का हिस्सा आपूर्तिकर्ता को बुनकर सेवा केंद्र के माध्यम से जारी किया जाता है ।

(v) **हथकरघा बुनकरों तथा उनके बच्चों की शिक्षा:**

बुनकरों तथा उनके परिवार हेतु शैक्षणिक सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए वस्त्र मंत्रालय ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय(इग्नू) तथा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है । एनआईओएस, हथकरघा बुनकरों के लिए दूरस्थ शिक्षण व्यवस्था के माध्यम से डिजाइन, विपणन, व्यवसाय विकास आदि विषयों पर माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तरीय शिक्षा प्रदान करता है, जबकि इग्नू, हथकरघा बुनकरों तथा उनके बच्चों को कैरियर की प्रगति हेतु आकांक्षाओं के संगत सुग्मय तथा स्थिति के अनुरूप शिक्षण अवसरों के माध्यम से सतत शिक्षा कार्यक्रम प्रदान कर रहा है।

वस्त्र मंत्रालय, एनआईओएस/इग्नू पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु हथकरघा बुनकर परिवारों से आने वाले एससी/एसटी, बीपीएल तथा महिला बुनकर शिक्षणार्थियों के लिए प्रवेश शुल्क में 75% प्रतिपूर्ति प्रदान कर रहा है।

(vi) **इंडिया हैंडलूम ब्रांड:** दिनांक 7 अगस्त, 2015 को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर उच्च गुणवत्ता वाले हथकरघा उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए माननीय प्रधान मंत्री द्वारा इंडिया हैंडलूम ब्रांड शुरु किया गया था । यह उच्च गुणवत्ता वाले, प्रामाणिक परांपरागत डिज़ाइनों वाले और पर्यावरण पर ज़ीरो डिफैक्ट और ज़ीरो इफैक्ट वाले उत्कृष्ट हथकरघा उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देता है । इसकी शुरूआत से 184 उत्पाद श्रेणियों के तहत 1333 पंजीकरण जारी किए जा चुके हैं और 861.93 करोड़ रूपए की बिक्री अर्जित हुई है ।

विभिन्न अग्रणीय ब्रांड के साथ हथकरघा परिधानों को उनके ब्रांड में एक अलग श्रेणी के रूप में प्रदर्शित करने के लिए पहल की गई हैं ।

(vii) **ई-कॉमर्स-** हथकरघा उत्पादों के ई-विपणन को बढ़ावा देने के लिए एक नीतिगत फ्रेमवर्क तैयार किया गया था जिसके तहत अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले इच्छुक ई-कॉमर्स प्लेटफार्म हथकरघा उत्पादों के ऑनलाइन विपणन में भाग ले सकते हैं। तद्नुसार निम्नलिखित 23 ई-कॉमर्स संस्थाओं को हथकरघा उत्पादों के ऑनलाइन विपणन के लिए अनुबंधित किया गया है। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कुल 80.76 करोड़ रुपये की बिक्री की सूचना प्राप्त हुई है ।

(viii) **शहरी हाट-** शिल्पकारों/बुनकरों को पर्याप्त प्रत्यक्ष विपणन सुविधाएं प्रदान करने तथा बिचौलियां एजेंसियों को समाप्त करने हेतु बड़े कस्बों/मेट्रोपोलिटिन शहरों में स्थापित किए गए हैं । अब तक पूरे देश में ऐसे 38 शहरी हाट स्वीकृत किए गए हैं ।

2. व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास योजना

व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस) स्पष्ट रूप से अभिज्ञात भौगोलिक स्थानों में मेगा हथकरघा क्लस्टरों के विकास के लिए लक्षित है जिसमें 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रति क्लस्टर 40 करोड़ रुपये के भारत सरकार के

अंशदान सहित कम से कम 15,000 हथकरघे शामिल किए गए हैं। इस योजना के तहत नैदानिक अध्ययन करने, कच्ची सामग्री के संग्रह आदि जैसे संघटकों को पूर्णत: भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जाता है जबकि भारत सरकार द्वारा लाइटिंग इकाइयों, करघों एवं सहायक सामानों के प्रौद्योगिकीय उन्नयन जैसे संघटकों को 90% वित्तपोषित किया जाता है। डिजाइन स्टूडियों/विपणन कॉम्पलैक्स/परिधान इकाइयों, विपणन विकास, निर्यात सहायता तथा प्रचार-प्रसार आदि जैसे अन्य संघटकों को 80% की सीमा तक वित्तपोषित किया जाता है। 8 मेगा क्लस्टर अर्थात वारणासी (उत्तर प्रदेश), सिवसागार (असम), विरूद्धनगर (तमिलनाडु), मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल), प्रकासम एवं गुंटूर जिले (आंध्र प्रदेश), गोड्डा एवं निकटवर्ती जिले (झारखंड), भागलपुर (बिहार) एवं त्रिची (तमिलनाडु) में विकास हेतु शुरू किए गए हैं।

3. **हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना**

हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना (एचडब्ल्युसीडब्ल्युएस) में प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और परिवर्तित महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना (एमजीबीबीवाई) घटकों के तहत जीवन, दुर्घटना और दिव्यांगता बीमा कवरेज प्रदान किया जा रहा है।

4. **यार्न आपूर्ति योजना**

मिल गेट कीमत पर हर प्रकार का यार्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से देश भर में यार्न आपूर्ति योजना कार्यान्वित की जा रही है। यह योजना राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत माल-भाड़े की प्रतिपूर्ति की जाती है और डिपो संचालन एजेंसियों को 2% की दर से डिपो संचालन प्रभारों की प्रतिपूर्ति की जाती है। हैंक यार्न पर 10% मूल्य सब्सिडी का एक संघटक भी मौजूद है जो मात्रात्मक सीमा के साथ सूती, घरेलू रेशम और ऊनी यार्न पर लागू है।

(घ): पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इस योजना के तहत आबंटित एवं उपयोग की गई निधियों की राशि का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	योजना का नाम	2016-17 (करोड़ रूपये में)		2017-18 (करोड़ रूपये में)		2018-19 (करोड़ रूपये में)		2019-20 (करोड़ रूपये में) (28-02-2020तक)	
		आवंटित राशि (सं.अ.)	जारी/ उपयोग की गई राशि	आवंटित राशि (सं.अ.)	जारी/ उपयोग की गई राशि	आवंटित राशि (सं.अ.)	जारी/ उपयोग की गई राशि	आवंटित राशि	जारी/ उपयोग की गई राशि
1	राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)	167.53	153.56	140.24	135.05	138.53	119.72	135.00	132.63
2	व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस)	50.00	40.11	32.50	31.82	21.50	16.38	40.00	14.13
3	हथकरघा बनुकर व्यापक कल्याण योजना (एचडब्ल्यूसीडब्ल्यूएस)	26.56	26.56	25.00	24.98	10.05	2.06	20.00	8.01
4	यार्न आपूर्ति योजना (वाईएसएस)	261.50	261.35	200.00	199.84	155.41	126.84	195.00	134.27
	कुल:	**505.59**	**481.58**	**397.74**	**391.69**	**325.49**	**265.00**	**390.00**	**289.04**

अनुबंध -I

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	अनुसूचित जनजाति हथकरघा कामगारों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	2,202
2.	अरूणाचल प्रदेश	67,017
3.	असम	2,38,319
4.	बिहार	7,198
5.	छत्तीसगढ़	2,008
6.	दिल्ली	808
7.	गोवा	0
8.	गुजरात	70
9.	हरियाणा	4,158
10.	हिमाचल प्रदेश	2,182
11.	जम्मू एवं कश्मीर	6,062
12.	झारखंड	4,266
13.	कर्नाटक	2,460
14.	केरल	133
15.	मध्य प्रदेश	1,031
16.	महाराष्ट्र	224
17.	मणिपुर	67,798
18.	मेघालय	13,407
19.	मिज़ोरम	27,447
20.	नागालैंड	41,957
21.	ओडिशा	15,108
22.	पुद्दुचेरी	7
23.	पंजाब	150
24.	राजस्थान	542
25.	सिक्किम	373
26.	तमिलनाडु	2,470
27.	तेलंगाना	412
28.	त्रिपुरा	66,778
29.	उत्तर प्रदेश	7,449
30.	उत्तराखंड	1,994
31.	पश्चिम बंगाल	44,738
कुल		**6,28,768**

*****